

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

करण संख्या
4/2023

दायर दिनांक

19.10.2023

उनवान

निर्णय दिनांक

30.01.2024

श्रवण शर्मा पुत्र स्व० श्री लालुराम शर्मा जाति शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी बस स्टेण्ड कारोई
कला, तह० एवं जिला भीलवाडा (राज०)

—प्रार्थी

बनाम

मुलि बलाई पत्नी मेघा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा, तहसील एव
जिला, भीलवाडा।

रतनलाल बलाई पुत्र मेघा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तह० एवं
जिला भीलवाडा।

रामचन्द्र बलाई पुत्र मेघा बलाई, जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तह० एवं जिला
भीलवाडा।

देउ बलाई पत्नी केशु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तह० एवं जिला
भीलवाडा।

नन्दु बलाई पुत्री बालु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तह० एवं जिला
भीलवाडा।

लेहरू बलाई पुत्र बालु बलाई, जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तह० एवं जिला
भीलवाडा।

पन्नी पत्नी केशु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा, तहसील एव जिला,
भीलवाडा।

बदाम पुत्री केशु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा, तहसील एव जिला,
भीलवाडा।

भागु बलाई पुत्र बालु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा, तहसील एव जिला,
भीलवाडा।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाडा (राज०)


—विपक्षीगण

स्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी उदयसिंह दरोगा

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू—राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रतनपुरा प०ह० कारोईकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 201 की अभिलिखित आराजियात 4096/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रतनपुरा प०ह० कारोईकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 201 की अभिलिखित आराजियात 4096/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आह्वाद निवृत्ति सोमनाथ)


रूपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा